न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 55/2016

1. मंजू राठौड पुत्र श्री हरिसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी–प्रेमपुरा जिला–नागौर।
2. राजीव तिवाडी पुत्र श्री एस.के.तिवाडी, जाति ब्राहम्ण निवासी अजमेर।
3. तेजसिंह पुत्र श्री पूरण सिंह जाति राजपूत निवासी अजमेर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर। ..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक अपीलार्थी0
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 26.07.2018

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2072 में मंजु राठौड पुत्री हरिसिंह राठौड निवासी–कुन्दन नगर, अजमेर, श्री राजीव तिवाडी पुत्र एस.के.तिवाडी, श्री तेजसिंह पुत्र श्री पूरणसिंह जाति राजपूत निवासी, अजमेर द्वारा ग्राम कायड तहसील व जिला–अजमेर स्थित आराजी खसरा सं0 3954 एवं 3955 किस्म बारानीं–3 (चारागाह) में से रकबा 838 वर्ग मीटर पर अनाधिकृत रूप से बाउन्ड्री वाल बनाकर कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आश्य की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार अजमेर द्वारा अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 309/2015 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 29.9.2016 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमियों की विवादित भूमि से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के साथ ही मौके पर उपलब्ध निमार्ण कार्य को जब्त सरकार करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 29.09.2016 सें असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

हमने उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट्स द्वारा रेकार्डेड खातेदार से खातेदारी भूमि क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया गया है उनके द्वारा प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा साबिक नक्शे के मुकाबले वर्तमान नक्शा त्रूटिपूर्ण मुर्तिब कर दिया जाने से अपीलान्ट्स के स्वामित्व की भूमि को त्रूटिपूर्ण नक्शे में सिवाय चक दर्ज/दर्शा दी गई जिसकी दुरूस्ती हेतु उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण संख्या 41/2016 अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि के आधार खसरा नं0 3881 रकबा 0.58 एवं 3881/4960 रकबा 0.10 हैक्टर के रिकार्डेड खातेदार थावरदास बुलानी पुत्र श्री झमटमल जाति हिन्दु सिन्धी थे, जिनके द्वारा अधिकांश भाग अजीज मोहम्मद को विक्रय किया गया। अजीज मोहम्मद द्वारा वर्किंग खसरा नं0 2089 मिन हाल 3881, 3881/4960 में से 10 बिस्वा 6.7 बिस्वान्सी भूमि श्रीमती माया शर्मा पत्नि श्री बालूराम शर्मा निवासी रघुनाथगढ तहसील भिनाय को विक्रय की गई जिसके

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1708 दिनांक 23.11.2009 तस्दीक किया जाकर श्रीमति माया शर्मा का राजस्व रेकार्ड में रकबा 0–09–11.39 का ही अमल दरामद किया गया। तत्पश्चात श्रीमती माया शर्मा द्वारा दिनांक 23.12.2011 को रूबरू गवाहान एक मुख्त्यारनामाआम निष्पादन कर अपीलान्ट्स को प्रश्नगत आराजी की सार संभाल ,बुआई, निराई कटाई इत्यादि कार्य करने, न्यायालय एवं नगर संकुलन एवं नगर नियोजन विभाग में चाराजोही करने बाबत समस्त अधिकार प्रदान किये गये, तब से अपीलान्ट संख्या 01 विवादित भूमि पर बहैसियत मुख्त्यार आम काबिज काश्त चली आ रही है। अपीलान्ट संख्या 01 का खसरा संख्या 3954 एवं 3955 के किसी भी भाग पर कतई अतिक्रमण नहीं है। बन्दोबस्त के दौरान श्रीमती माया शर्मा की खातेदारी भूमि को आधार नक्शा ट्रेस में यदि त्रूटि पूर्ण रूप से दर्शा दिया गया है तो उसे सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा मौके पर नाप जोख किया जाकर अथवा आवश्यकता होने पर ई.डी.एम मशीन द्वारा सर्वे करवाया जाकर दुरूस्त किया जाना चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों की जांच किये बिना प्रकरण को अत्यन्त फौरी तौर पर लेकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29..09.2016 निरस्त किया जावें एवं अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप फरमाते हुए बन्दोबस्त विभाग द्वारा वर्किंग एवं आधार नक्शा ट्रेस कारित त्रूटि को बाद नाप–जोख/सर्वे कर दुरूस्त करवाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारान एवं अपीलान्ट्स को श्रीमती माया देवी की खातेदारी भूमि पर काबिज करवाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट्स की अपील संधारण योग्य नहीं है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया जाकर विधिवत सुनवाई कर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा अपीलान्ट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। इसमें कोई कानूनी त्रुटि होना जाहिर नही होता है। प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदारान द्वारा वर्किंग एवं आधार नक्शा ट्रेस में कारित त्रूटि की दुरूस्ति बाबत प्रस्तुत प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, उसी के जरिये वांछित अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अपील अपीलान्टस ऐसी स्थिति के मध्यनजर स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दि. 29.09.2016 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.07..2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर